भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 270

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया मुआवजा

270. श्री प्रदीप पुरोहितः

श्री राधेश्याम राठियाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत ओडिशा और छत्तीसगढ़ में किसानों को प्रदान किए गए कुल मुआवजे का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के अंशदान का ब्यौरा क्या है और क्या इस अंशदान में कोई परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्षा, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार फसल बीमा योजना को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कोई नई योजना शुरू करने की योजना बना रही है ताकि सभी किसान इसका लाभ समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकें; और

(ङ) क्या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कोई विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में खरीफ 2016 सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में इस योजना के तहत भुगतान किए गए दावों का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): योजना के प्रावधानों के अनुसार, बीमा कंपनियों द्वारा बीमांकिक/बोली प्रीमियम दरें वसूली जाती हैं, लेकिन किसानों को खरीफ के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी खाद्यान्नों और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% भुगतान करना पड़ता है और बीमांकिक/बोली प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य

सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 सीजन से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) के मामले में 90:10 के आधार पर साझा किया जाता है। योगदान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): पीएमएफबीवाई को मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है और इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों की बुवाई पूर्व से लेकर फसल कटाई के बाद तक सभी गैर-निवार्य योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कटाई के बाद होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हितधारकों/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ, समय पर और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुँचें।

बीमा कंपनियों द्वारा दावों की पारदर्शी गणना और निपटान के लिए, खरीफ 2022 सीजन से "डिजिक्लेम" नामक एक दावा प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें सभी दावों की गणना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से की जाती है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग करके किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है। यह किसान स्तर तक दावों की पूर्ण चक्र निगरानी सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, दावों की गणना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, खरीफ 2023 से, तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक) की शुरुआत की गई है, ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद करने के लिए रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में क्रमिक रूप से बदलाव किया जा सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों और खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल के लिए शुरू की गई है, उपज अनुमान में न्यूनतम 30% महत्व अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा।

(ङ): फसल बीमा स्कीम के अंतर्गत ऐसा कोई राहत पैकेज प्रयोज्य नहीं है।

अनुबंध

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक ओडिशा में पीएमएफबीवाई के तहत भुगतान किए गए दावों का वर्ष-वार और जिला-वार विवरण।

जिला	भुगतान किए गए दावे (रुपए में)		कुल
	2022-23	2023-24	
अनुगुल	17,95,090	10,17,872	28,12,962
बलांगीर	1,12,91,82,962	25,42,20,956	1,38,34,03,918
बालेश्वर	10,60,58,805	6,70,42,619	17,31,01,424
बारगढ़	11,46,46,846	27,27,45,210	38,73,92,056
भद्रक	5,80,74,815	6,24,55,067	12,05,29,882
बौध		22,291	22,291
कटक	26,65,63,010		26,65,63,010
देवगढ़	26,95,973		26,95,973
ढेंकनाल		3,124	3,124
गजपति	5,766	78,78,207	78,83,974
गंजम	6,20,19,140	20,58,73,973	26,78,93,114
जगतसिंहपुर	1,19,43,123		1,19,43,123
जाजापुर	23,22,42,022	17,82,84,112	41,05,26,134
झारसुगुडा	89,98,97,780	3,39,77,425	93,38,75,205
कालाहांडी	46,24,82,395	39,86,63,986	86,11,46,381
कंधमाल	47,916	15,35,637	15,83,554
केंद्रपाड़ा	3,97,57,386	2,40,05,249	6,37,62,635
केंदुझर	2,566		2,566
खोरधा	1,63,51,742	13,45,51,119	15,09,02,861
कोरापुट	20,149	13,50,330	13,70,479
मल्कानगिरी		21,51,203	21,51,203
मयूरभंज	3,878		3,878
नबरंगपुर		1,14,08,147	1,14,08,147
नयागढ़	3,17,033	32,61,026	35,78,059
नुआपाड़ा	4,80,16,431	5,92,85,292	10,73,01,723
पुरी	90,24,51,713	37,50,41,966	1,27,74,93,679
रायगढ़	2,268	14,49,975	14,52,243
संबलपुर	26,17,92,218	5,68,38,086	31,86,30,304
सुबरनपुर	30,998	1,79,743	2,10,740
सुंदरगढ़	1,17,58,91,232	2,09,33,820	1,19,68,25,052
कुल	5,79,22,93,259	2,17,41,76,435	7,96,64,69,694

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ में पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत भुगतान किए गए दावों का 31 दिसंबर, 2024 तक वर्षवार और जिलावार विवरण।

जिला	**भुगतान किए गए दावे (रुपए में.)**		**कुल**
	2022-23	**2023-24**	
बालोद	14,19,55,569	8,02,14,364	21,14,25,341
बलौदाबाजार	2,36,21,256		2,18,33,367
बलौदाबाजार भाटापारा		97,65,487	97,65,487
बलरामपुर	2,40,97,078		2,22,73,174
बलरामपुर रामानुजगज		9,85,061	9,85,061
बस्तर	15,24,58,090	9,15,17,272	23,24,35,836
बेमेतरा	79,46,31,561	1,81,95,30,922	2,55,40,16,962
बीजापुर	4,74,88,440	5,24,62,239	9,63,56,287
बिलासपुर	93,70,707	91,84,889	1,78,46,328
दंतेवाड़ा	7,97,01,794	18,27,99,708	25,64,68,888
धमतरी	18,20,34,842	1,98,93,737	18,81,50,394
दुर्ग	45,59,80,821	53,77,74,633	95,92,42,346
गरियाबंद	3,14,78,223	16,76,32,188	19,67,27,831
गौरेला पेंड्रा मरवाही	73,65,304	8,50,297	76,58,122
जांजगीर-चंपा	2,05,48,041	2,65,395	1,92,58,158
जशपुर	10,49,513	1,14,54,087	1,24,24,163
कबीरधाम	26,67,32,554	76,44,37,853	1,01,09,81,467
कांकेर	42,61,53,162	53,63,72,977	93,02,70,682
खैरगढ़ छुईखदान गंडई		58,27,21,167	58,27,21,167
कोंडागांव	5,19,69,568	7,91,91,596	12,72,27,596
कोरबा	7,33,50,851	4,16,25,912	10,94,24,850
कोरिया	1,88,37,046	16,49,718	1,90,60,991
महासमुंद	57,43,39,501	23,06,68,700	76,15,36,546
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर		17,96,305	17,96,305
मोहला मानपुर अम्बागढ़		7,14,16,754	7,14,16,754
मुंगेली	2,20,44,629	1,90,59,450	3,94,35,525
नारायणपुर	66,98,901	7,64,90,821	8,26,82,683
रायगढ़	4,48,87,135	71,95,883	4,86,85,519
रायपुर	73,81,118	1,12,44,620	1,80,67,062
राजनंदगांव	1,64,78,94,683	26,83,05,664	1,79,14,71,490
सक्ती		26,99,781	26,99,781
सारंगढ़ बिलाईगढ़		1,73,37,746	1,73,37,746
सुकमा	20,93,70,933	5,40,17,815	24,75,41,499
सूरजपुर	59,88,384	2,29,39,832	2,84,74,957
सरगुजा	1,23,52,860	1,15,58,342	2,29,76,217
कुल	**5,33,97,82,562**	**5,69,50,81,366**	**10,72,06,76,584**

*****